राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय (अधिनियम शाखा)
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

सं० फा० 15(110)/डी.ई/एक्ट/2011/7563 – 74 दिनांक: 13.02.2012

परिपत्र

सभी मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों का ध्यान दिल्ली निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 10 के उपनियम 3 के साथ पठित निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 35 एवं 38 के अन्तर्गत जारी 27.01.2012 की अधिसूचना संख्या 15(172)/डी.ई/एक्ट/2011/7290 - 7304 की ओर आकर्षित किया जाता है | इस सम्बन्ध में माननीय उच्च-न्यायालय ने अपने दिनांक-31.01.2012 के निर्णय डब्लू पी (सी) संख्या 636/2012 शीर्षक **"फेडरशन ऑफ पब्लिक स्कूल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार"** और डब्लू पी (सी) संख्या 40/2012 शीर्षक **"फेडरशन ऑफ पब्लिक स्कूल बनाम निदेशक (शिक्षा)"** में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं साधन विहीन समूह में से प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के पालन हेतु अपनाए जाने वाले निम्नलिखित निकटता मानदंडों को निर्धारित किया है |

1. विद्यालय से 1 कि.मी. की दूरी के भीतर रह रहे आर्थिक रूप से पिछड़े और साधन विहीन समूह से सम्बंधित योग्य विद्यार्थिओं को सर्वप्रथम प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाए |
2. यदि खाली स्थान बचते हैं तो विद्यालय से तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर रह रहे विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जाए|
3. यदि फिर भी खाली स्थान बचते हैं तो विद्यालय से छह किलोमीटर की दूरी के भीतर रह रहे अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जाए |
4. छह किलोमीटर या अधिक दूरी के विद्यार्थियों को उसी स्थिति में प्रवेश दिया जाए यदि छह किलोमीटर तक की दूरी में रहने वाले सभी योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद भी स्थान खाली हों |

माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय के उक्त आदेशों का माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय के पूर्वोक्त आदेश की तिथि से सभी निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा कठोरतापूर्वक पालन किया जाए।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

उक्त आदेश की अवमानना से संबद्ध शिकायत को गंभीरता से लिया जायेगा।

पी. लता तारा

(पी लता तारा)
सहायक शिक्षा निदेशक (अधिनियम)

सं० फा० 15(110)/डी.ई/एक्ट/2011/7563 – 74 दिनांक: 13.02.2012

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, दिल्ली।
2. सचिव, शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
3. विशेष सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली।
4. अतिरिक्त निदेशक (अधि० / प्रशा० / सम०), शिक्षा निदेशालय दिल्ली।
5. निजी सचिव, निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय दिल्ली।
6. समस्त क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली।
7. समस्त मंडल उप-निदेशक, शिक्षा निदेशालय दिल्ली।
8. शिक्षा अधिकारी / उप-शिक्षा अधिकारी जोन , शिक्षा निदेशालय, दिल्ली।
9. समस्त कार्यालय अधीक्षक (अधिनियम शाखा) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली।
10. कार्यालय अधीक्षक (सूचना प्रोधोगिकी) सरकारी वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलोड करने के निर्देश सहित।
11. सभी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रमुख, दिल्ली/ नई दिल्ली
12. गार्ड फाइल।

पी. लता तारा

(पी लता तारा)
सहायक शिक्षा निदेशक (अधिनियम)